यह निरीक्षण प्रतिवेदन **असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-प्रथम, वाणिज्य कर अल्मोडा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-प्रथम, वाणिज्य कर अल्मोडा के माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री रमेश कुमार केशरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 17.05.2018 से 25.05.2018 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रवीण कुमार एवं श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षक अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.06.2016 से 07.06.2016 तक श्री एन.के.सिन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2012 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः ट्रेडिंग ठेकेदार कार्य**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	1008.33
2016-17	1019.39
2017-18	293.18 GST 368.20

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	आवंटित बजट राशि (₹)	व्यय राशि (₹)	अवशेष/समर्पण (₹)
2015-16			
2016-17	लागू नहीं है।		
2017-18			

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- डिप्टी- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-प्रथम, वाणिज्य कर अल्मोडा** को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-प्रथम, वाणिज्य कर अल्मोडा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - 10/2016 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच (राजस्व प्राप्ति) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- 2 (ख)

प्रस्तर-1 कर एवं अर्थदण्ड के अनारोपण के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ` 2.56 लाख

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 3(1)के अनुसार किसी व्यौहारी द्वारा अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गयें प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा तथा अधिनियम की धारा 58(1)(xiv) अनुसार मिथ्या लेखा रजिस्टर या दस्तावेज रखा है या प्रस्तुत किया है वो कर की उस धनराशि का कम से कम 50% किन्तु 200% से अनधिक जो तद द्वारा परिवर्णित हो जातीअर्थदण्ड का , भागी होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0), खंड-01 राज्य कर, अल्मोड़ा के अभिलेखो की जांच मे पाया गया सर्व श्री के एस कपूर, अल्मोड़ा टिन न0 05000121760 कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के द्वारा संगत वर्ष मे क्रय ` 1,34,06,205 (पान मसाला एवं ज़र्दा की ) एवं ` 29772 (अन्य माल) का क्रय किया गया। ` 1,34,06,205 (पान मसाला एवं ज़र्दा) के क्रय को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 30.05.2012 से उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के अनुसूची – III मे होने के करमुक्त घोषित करते हुये उक्त धनराशि पर दावाकृत आई टी सी ` 18,09,837 को निरस्त कर दिया गया। जबकि व्यापारी द्वारा पान मसाला एवं ज़र्दा की अलग-अलग खरीद की गयी थी एवं अनुसूची-III के क्रम संख्या 11 के अनुसार Cigarette, cigar, and Pan Masala containing Tobacco(Gutkha) को रखा गया है। अतः व्यापारी को आई टी सी का लाभ देय था। व्यापारी द्वारा कुल विक्री ` 1,35,59,297 (` 1,35,29,197 कर मुक्त एवं ` 30,100 की बिक्री 5 प्रतिशत की दर) किया जाना घोषित किया गया था एवं अंतिम अवशेष कर निर्धारण आदेश मे शून्य दिखाया गया था।

दाखिल विवरणो के अनुसार खरीद बिक्री व स्टाक की स्थिति निम्न प्रकार घोषित की जानी थी।

क्र	आ0अवशेष	खरीद	बिक्री	अंतिम स्टाक (यदि लाभ को शामिल न किया जाए)
नि	13,62,158	1,34,35,978	1,35,59,297	12,38,839

र्धारण आदेश मे अंतिम अवशेष शून्य दर्शाया गया था जबकि यदि लाभ न भी जोड़ा जाए तो ` 12,38,839 अंतिम स्टाक बचता है जिसे व्यापारी द्वारा घोषित

नहीं किया गया था। जिसे बिक्री मानते हुए कर का निर्धारण निम्नानुसार होना चाहिए था ।

पान मसाला एवं ज़र्दा	1,35,29,197	13.5 प्रतिशत	1826442
अन्य माल	30,100	5 प्रतिशत	1505
अंतिम स्टाक को बिक्री मानते हुये कर का आरोपण	12,38,839	13.5 प्रतिशत	167243 + 83622(50 प्रतिशत अर्थदण्ड)= 250865
योग	1,47,98,136		20,78,812

उपरोक्त के अनुसार व्यापारी पर कुल ` 19,95,190 का कर आरोपणीय है। व्यापारी द्वारा चालान के माध्यम से ` 16,617 जमा किया गया था एवं ` 18,11,326 का आई टी सी का लाभ देने के उपरांत कुल ` 1,67,247 का कर तथा ` 83,623 का (कुल कर का 50 प्रतिशत) अर्थदण्ड भी आरोपणीय था । पत्रवाली पर वर्ष 2014-15 की वैट आडिटेड रिपोर्ट/बैलेन्स शीट उपलब्ध नहीं थी जिस पर वैट ऐक्ट की धारा 62 के अनुसार, ` 1 करोड़ या उससे अधिक के Turn over पर वैट आडिटेड रिपोर्ट संलग्न होना चाहिये । धारा 58(1)(xvi) के अनुसार, वैट आडिटेड रिपोर्ट संलग्न न करने पर ` 5000 अर्थदण्ड भी आरोपणीय था ।

2. अधिसूचना संख्या 282/XXXVI(3)/2017/41(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 के अनुसार धारा 25 क के प्राविधानानुसार स्वतः कर निर्धारण स्वीकृत करने मे ऐसा व्योहरी विशिष्ट रूप से "आयरन और स्टील" अथवा खाद्य तेल अथवा सीमेंट अथवा मेंथा एवं मेंथा उत्पाद अथवा पान मसाला अथवा मार्बल स्टोन अथवा सिरेमिक टाइल्स अथवा इनमे से एक से अधिक वस्तुओ की ट्रेडिंग अथवा विनिर्माण मे न हो। वर्ष 2015-16 मे व्यापारी सर्व श्री के0 एस0 कपूर अल्मोड़ा का वाद स्वतः कर निर्धारण के अंतर्गत निस्तारित किया गया था। जबकि व्यापारी द्वारा पान मसाला की ट्रेडिंग की गयी है जिसका कर निर्धारण किया जाना चाहिए था ।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा आपत्ति को स्वीकार करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने एवं बिन्दु संख्या 2 के संबंध मे अवगत कराया

गया कि वाद को पुनः कर निर्धारण हेतु सुसंगत धाराओ मे खोल कर कर निर्धारण किए जाने का आश्वासन दिया गया ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग- 2 (ख)

प्रस्तर-2 आई टी सी रिवर्स न किये जाने एवं अर्थदण्ड के अनारोपण से राजस्व क्षति ` 2.69 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6 (2) के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ, जिसके लिए पंजीकृत व्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनराशि होगी, जो कर अवधि के दौरान ऐसे प्रयोजन हेतु एवं एसी शर्तो के अधीन रहते हुए जैसा कि इस धारा में विनिर्दिष्ट है, किये गये क्रय गये क्रय के क्रय धन पर पंजीकृत व्यौहारी द्वारा विक्रेता व्यौहारी को भुगतान किया गया और जिसके कारण एसी रीति से की जायेगी जैसा कि विहित किया जाये। इस अधिनियम की धारा 58(1)(xi) के अनुसार इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा किया जाता है या किसी मिथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है तो पाँच हजार रूया . दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि ,जो भी अधिक हो ,अर्थदण्ड देय होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0), खंड-01 राज्य कर, अल्मोड़ा के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि

(i) m/s एम एस इलेक्ट्रानिक, लिंक रोड अल्मोड़ा, टिन न0 05013926703 कर निर्धारण वर्ष 2014-15 मे व्यापारी M/s जय गोलु दर्शन इंटरप्राइजेज़ अलमोडा से क्रय ` 11,63,208 की दर्शाते हुये ` 59,263 की आई टी सी का लाभ लिया गया है। M/s जय गोलू दर्शन इंटरप्राइजेज़ अल्मोडा के विक्रय सूची के अनुसार m/s एम एस इलेक्ट्रोनिक, अल्मोड़ा द्वारा कोई क्रय न किया जाना पाया गया है। अतः ` 58,160 की आई टी सी का गलत दावा किया गया था जो कि रिवर्स योग्य था । जिस पर उपरोक्त प्रावधान के अनुसार तीन गुना अर्थदण्ड` 1,77,789 भी व्यापारी पर आरोपणीय था।

(ii) व्यौहारी सर्व श्री प्रकाश इलैक्ट्रोनिक्स अल्मोडा टिन05000199457 टेलीविजन, फ्रिज, वाशिंग मशीन आदि की ट्रेडिग के व्यवसायी के रुप में पंजीकृत है। व्यौहारी की कर निर्धारण वर्ष 2013–14 की पत्रावली के अनुसार संगत वर्ष में ₹ 12186812.00 की बिक्री एवं एवं ₹ 1343511.00 कर का आरोपण का आदेश वैट अधिनियम की धारा 25(7) के अन्तर्गत किया गया। व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में ₹ 11664378.00 की खरीद पर ₹ 1278039.00 आई0टी0सी0 अनुमन्य की गयी। आगे पत्रावली के अनुसार सर्वश्री कुमायूँ रेडियोज टिन 05001323202 से इलैक्ट्रानिक्स गुडस की खरीद पर 13.5 प्रतिशत की दर से आई.टी.सी. का लाभ दिया गया किन्तु मै0 कुमाउॅ रेडियोज हल्द्वानी की वर्ष 2013–14 (प्रथम तिमाही अप्रैल,मई,जून)की बिक्री में उक्त संव्यवहारों को नही दर्शाया गया है।

उपरोक्त के संबन्ध में सम्प्रेक्षा के इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टिप्पणी के साथ उल्लिखित बिक्री बिलों छाया प्रति उपलब्ध करायी गयी, किन्तु क्रमांक 16 बिल सं0 764 दिनॉक 16.06.13धनराशि रु.59762.00 को उपलब्ध नही करा सके। अतः उपलब्ध न कराये गये बिल की अन्तर्ग्रत धनराशि पर अनुमन्य की गयी आई0टी0सी0 ₹ 8067.87(59762x13.5%) अनियमित पायी गयी,जो रिवर्स योग्य है। इसके अतिरिक्त आई0टी0सी0 ₹ 8068.00 का अनियमित दावा करने के कारण अर्थदण्ड ₹ 24204.00 भी आरोपणीय होगा।

अतः अनियमित आई0टी0सी0 तथा अर्थदण्ड ` 2,32,640 (` 59,263 + ` 1,77,789) एवं रु.32272.00(8068+24204) **कुल ₹** 2,69,324 का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग- 2 (ख)

प्रस्तर-3 संविदाकारों को अधिक वापस की गयी धनराशि के परिणाम स्वरूप राजस्व क्षति ` 1.49 लाख

शासनादेश संख्या 330/2012/14(120)/XXVII(18)/06 दिनांक 17.04.2012 के द्वारा सिविल एवं विद्युत सकर्म संविदाकारों के संबंध मे उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत देय कर के विकल्प मे उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत एक मुश्त समाधान राशि दिये जाने से संबधित समाधान योजना लागू किए जाने के निर्देश दिये गए। उक्त के बिन्दु संख्या 4 (क) जिन मामलो मे संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष मे निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक माल के आयात का प्रयोग किया हो, जिसमे उक्तानुसार आगणित धनराशि का 4 प्रतिशत की दर से एवं 4(ख) जिन मामलो मे संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष मे वित्तीय वर्ष मे निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक आयातित माल का प्रयोग किया हो, जिसमे उक्तानुसार आगणित धनराशि का 6 प्रतिशत की दर से कर निर्धारित किया जाएगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0), खंड-01 राज्य कर अल्मोड़ा के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि वर्ष 2012-13 मे किए गए अनुबंध एवं उससे सम्बन्धित प्राप्त भुगतानों पर 2 प्रतिशत की दर से समाधान कर का भुगतान किया गया था। जबकि वर्ष 2012-13 मे किए गए अनुबंध एवं उससे सम्बन्धित प्राप्त भुगतानों पर 4 प्रतिशत की दर से समाधान कर का भुगतान किया जाना था। इस प्रकार चार संविदाकारों (संलग्नक के अनुसार) को 1,48,746 की अधिक वापसी की गयी थी।

उक्त को इंगित किए विभाग द्वारा आपत्ति स्वीकार करते हुये जांचोपरांत नियमानुसार कार्यवाही किए जाने का आश्वाशन दिया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

संविदाकारों को अधिक वापस की गयी धनराशि का विवरण

क्र0 सं	संविदाकार का नाम सर्वश्री	टिन सं0	समाधान वर्ष एवं संविदाकार को कुल भुगतान	टी डी एस की धनराशि	अनुबंध वर्ष	धनराशि	समाधान कर का प्रतिशत	समाधान कर की धनराशि	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समाधान की धनराशि	वापस की धनराशि	अधिक वापस की गयी धनराशि
01	मोहन सिंह दोसाद सर्वोदय नगर कौसनी अल्मोड़ा	050000166768	2013-14 4508364	135295	2012-13	3401704	4	136068	90167	45128	68034
					2013-14	1106660	2	22213			
					योग	4508364		158201			
02	शिवालिक सोपस्टोन पश्चिमी पोखरवाली (ब्रांच शिवालिक कंस्ट्रक्सन) अल्मोड़ा	050002477957	2013-14 28968475	577698	2008-09 से 2011-12 तक	8515795	1	85158	498610	22991	26967
					2012-13	1568267		62731			
					2013-14	18869644	2	377393			
					अन्य भुगतान	14770	2	295			
					योग	28968475		525577			
03	मोहन सिंह सिंगवाल भनोली अल्मोड़ा	050001679 32	2013-14 3798947	227939	2012-13	2344986	4	93799	83527	144412	33377
					2011-12	597418	1	5974			
					2013-14	856543	2	17131			
					योग	3798947		116904			
04	महेश चन्द्र	050001640 52	2013-14	188435	2013-14	1054920	4	42197	71972	116463	20368
					201	24706	2	4941			

	सनवाल		**3598586**		**3-14**	**45**		**3**			
					2011-12	**73021**	**1**	**730**			
					योग	**3598586**		**92340**			
योग											148746

<u>भाग- 2 (ख)</u>

प्रस्तर-4 कर के न्यूनारोपण से **राजस्व क्षति ` 0.39 लाख**

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)ख(i)ई) मे यह प्रावधान किया गया हैकि किसी भी अनुसूची मे सम्मिलित माल से भिन्न माल के संबंध मे करदेयता , 13.5% प्रतिशत निर्धारित की गयी है।

पुनः अधिसूचना संख्या 282/XXXVI(3)/2017/41(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 के अनुसार धारा 25 क के प्राविधानानुसार स्वतः कर निर्धारण स्वीकृत मे ऐसा व्योहरी विशिष्ट रूप से "आयरन और स्टील" अथवा खाद्य तेल अथवा सीमेंट अथवा मेंथा एवं मेंथा उत्पाद अथवा पान मसाला अथवा मार्बल स्टोन अथवा सिरेमिक टाइल्स अथवा इनमे से एक से अधिक वस्तुओ की ट्रेडिंग अथवा विनिर्माण मे न हो।

ऐसा व्यौहरी विशिष्ट रूप मे "ईटों' अथवा "रेत" अथवा "बजरी" अथवा "रिवर बेड मैटेरियल (आर0 बी0 एम0)" अथवा "बोल्डर्स" अथवा "क्रस्ड स्टोन" अथवा "स्टोन ब्लास्ट" अथवा "ग्रिट" अथवा "मिट्टी" अथवा "कंकड़" अथवा "स्टोन डस्ट" अथवा "इनमे से एक से अधिक वस्तुओ" की ट्रेडिंग मे व्यवहृत न हो।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0), खंड-01 राज्य कर अल्मोड़ा के अभिलेखो की जांच मे पाया गया व्यापारी भू नारायण एण्ड सप्लायर्स, अल्मोड़ा टिन संख्या 05013989850 कर निर्धारण वर्ष 2014-15 वाद का निस्तारण स्वतः कर निर्धारण मे किया गया है। व्यापारी का व्यापार स्टोन, ग्रिट आदि का है। संगत वर्ष मे व्यापारी द्वारा स्टोन, ग्रिट आदि की प्रांतीय क्रय ₹1,55,588 की गई है जिस पर 13.5 प्रतिशत की दर से ₹ 21004 की आई टी सी का दावा किया गया है एवं प्रारम्भिक रहतिया शून्य तथा अंतिम रहतिया शून्य घोषित किया गया है। व्यापारी द्वारा स्टोन,ग्रिट की कुल बिक्री 5 प्रतिशत की दर से ₹4,62,629 एवं 13.5 प्रतिशत की दर से ₹650 की कुल बिक्री ₹4,63,279 की घोषित की गयी है। स्टोन ग्रिट की क्रय पर व्यापारी द्वारा 13.5 प्रतिशत की दर से आई टी सी का लाभ लिया गया है। अतः स्टोन ग्रिट जो किसी भी अनुसूची मे शामिल नहीं है की बिक्री पर अंतरीय कर ₹39,323 (462629 X 8.5 प्रतिशत) व्यापारी पर और आरोपणीय है एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है। उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार इस प्रकरण मे कर निर्धारण किया जाना चाहिए। जबकि स्वतः कर निर्धारण किया गया है।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा जाँचोपरांत नियमानुसार कार्यवाही किए जाने का आश्वशन दिया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- 2 (ख)

प्रस्तर-5 कर ₹ 9,971 एवं ब्याज ₹ 6,730 के अनारोपण से राजस्व क्षति ` 0.17 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3(1) के अनुसार, किसी ब्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा पुनः धारा 34 (4) के अनुसार स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अन्तिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा ।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण) खण्ड-1, वाणिज्य कर, अल्मोड़ा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री जनता एजेन्सी, अल्मोड़ा (टिन नं0 05000114388) कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के आदेश में प्रान्त बाहर से ₹ 16,56,792 की खरीद की गयी है । जबकि पत्रावली में संलग्न List of Form-16 used for Inter State purchase के अनुसार संगत वर्ष में ₹ 18,87,369 की फर्निचर/सोफासेट आदि की प्रान्त बाहर से खरीद की गयी है । इस प्रकार, ₹ 2,30,577 (अर्थात् ₹ 18,87,369 - ₹ 16,56,792) की अवर्गीकृत वस्तुओं की बिक्री पर 13.5% की दर से ₹ 31,128 कर आरोपणीय है, जिस कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त ₹ 63,300 की राशि का बिल कर योग्य वस्तु का पाया गया । उक्त वैट एक्ट की उपयुक्त धाराओं में कार्यवाही कर मांग सृजित की जायेगी । अवशेष राशि का आयात करमुक्त वस्तुओँ का पाया गया है, बिल प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

इकाई का उत्तर पूर्णतया मान्य नहीं है क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल सं0/इनवाईस नं0 265, 15374, 4101, 9474 में धनराशि क्रमश ` 29,757 (Blanket, rate >` 250), ` 62,860 (Blanket, rate >` 250), ` 43,500 (Bed Sheet), ` 63,300 (Quilt) कुल राशि ` 1,99,417 पर उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची-II (ख) के क्रम सं0 17 एवं 123 के द्वारा उक्त वस्तुओं पर 5% की करदेयता है । अतः उक्त वस्तुओं पर ` 9,971 (` 1,99,417 x 5%) कर आरोपणीय है तथा माह 10/2013 से 03/2018 तक (54 माह) का 15 प्रतिशत की दर से ब्याज ` 6,730 बनता है ।

अतः ` 9,971 कर एवं ` 6,730 ब्याज कुल ` 16,701 के राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

प्रस्तर-6 देय कर विलम्ब से जमा करने के परिणामस्वरूप अर्थदण्ड का अनारोपण रू0 0.21 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58(1)(vii) के अनुसार, यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि कोई व्यापारी युक्तियुक्त कारण के बिना उपरोक्त अधिनियम के अधीन देय कर, विवरणी जमा करने के पूर्व या विवरणी के साथ जमा करने में असफल रहता है, तो देय कर के अतिरिक्त कर का न्यूनतम 10% अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का प्रावधान है ।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण) खण्ड-1, अल्मोड़ा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि **"संलग्न विवरण"** में उल्लिखित व्यापारी द्वारा सम्बन्धित वर्ष के त्रैमास में देय कर विलम्ब से जमा किया गया है ।

अतः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की उपरोक्त धारा के अनुसार अर्थदण्ड रू0 21,150 आरोपणीय है जिसे आरोपित नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है

<u>संलग्न विवरण"</u>

क्रम सं0	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	तिमाही	देय कर	जमा करने की निर्धारित तिथि	जमा करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब	अर्थदण्ड की राशि (देय कर का 10% (रू.)
1.	मेसर्स गोलू मिनरल्स, अल्मोड़ा (टिन नं0 05010504737)	2013-14	चतुर्थ	2,11,500	31.03.14	30.06.16	27 माह	21,150
							योग	**21,150**

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
74/98-99	1,2		
118/99-2000	1		
115/2000-01	1,2		
111/2001-02	1,2		
119/2002-03	1,2		
12/04-15	1	1,2,3	
14/05-16	1		
21/07-08	1,2,3,4,5,6,7	2,3	
13/11-12	1,3,4,5,6,7	1,2,3	1,2,3,5
07/16-17	1,2	1,2,3,4,5	

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	अनुपालन आख्या		प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	

13/2011-12	प्रस्तर1- अर्थदण्ड का अनारोपण 635988.00	अपील द्वारा अर्थदण्ड को समाप्त कर दिया गया है। सूचना संलग्न।	ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) द्वारा अर्थदण्ड आदेश अपास्त। अतः डी.पी. रजिस्टर से सत्यापन कर प्रस्तर समाप्त किया जा सकता है।	प्रस्तर1- अनियमित करमुक्त 31861.00+ब्याज	ई फार्म प्रस्तुत करते हुए प्रस्तर निक्षेप करने का अनुरोध किया जाता है।	
	प्रस्तर3- अर्थदण्ड का अनारोपण 577806.00	पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रस्तर निक्षेप करने का अनुरोध किया जाता है।	मान्यता प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न डी.पी. रजिस्टर सत्यापित कर प्रस्तर निक्षेप किया जा सकता है।	प्रस्तर3- कर का न्यूनारोपण 2.45 लाख	प्रस्तर निस्तारण हेतु सूचना प्रेषित थी।	
	प्रस्तर4- ब्याज की वसूली न होना 615051.00	शासन द्वारा ब्याज माफ कर दिया गया है। आडर की प्रति संलग्न।	ब्याज माफी की धनराशि 646180 जबकि आडिट आपत्ति 61505 में भिन्नता है अतः प्रस्तर यथावत।	प्रस्तर 2,4--------	विवरण पूर्व में प्रेषित किया गया है। अन्य कोई प्रगति नहीं है। प्रगति होने पर सूचित किया जायेगा।	
	प्रस्तर7- आई.टी.सी. का गलत समायोजन 451709.00	पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रस्तर निक्षेप करने का अनुरोध किया जाता है।	87-88,88-89 में पंजीयन के साक्ष्य नहीं अतः प्रस्तर यथावत।			
	प्रस्तर5,6----	विवरण पूर्व में प्रेषित किया गया है। अन्य कोई प्रगति नहीं है। प्रगति होने पर सूचित किया	स्थिति पूर्ववत अतः प्रस्तर यथावत।			

		जायेगा।				
नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी	प्रस्तर -1,2,3,5	अनुपालन कर सूचना प्रेषित की जायेगी।	यथावत			
07/2016-17	प्रस्तर-1 गलत आई.टी.सी दिये जाने के कारण राजस्व क्षति 44.6 लाख	अर्थदण्ड की कार्यवाही की गयी। प्रकरण अपील में लम्बित है।	यथावत	प्रस्तर1- कर का न्यूनारोपण 4.82 लाख	प्रकरण ज्वाइन्ट कमिश्नर के मध्यम कार्यालय-महालेखाकार उत्तराखण्ड को प्रेषित है। छायाप्रति संलग्न	
	प्रस्तर2- अर्थदण्ड का अनारोपण 44.52	अर्थदण्ड की कार्यवाही की गयी। प्रकरण अपील में लम्बित है।	यथावत	प्रस्तर2- आई.टी.सी. रिवर्स न किये जाने के कारण राजस्व क्षति 13.74 लाख	प्रकरण ज्वाइन्ट कमिश्नर के मध्यम कार्यालय-महालेखाकार उत्तराखण्ड को प्रेषित है। छायाप्रति संलग्न	
				प्रस्तर3- कर का न्यूनारोपण 2.45 लाख	प्रकरण ज्वाइन्ट कमिश्नर के मध्यम कार्यालय-महालेखाकार उत्तराखण्ड को प्रेषित है। छायाप्रति संलग्न	
				प्रस्तर4- इन्पुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्स न किया जाना 26.255	प्रकरण ज्वाइन्ट कमिश्नर के मध्यम कार्यालय-महालेखाकार उत्तराखण्ड को प्रेषित है। छायाप्रति संलग्न	
				प्रस्तर5- कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण 14255+7128	प्रकरण ज्वाइन्ट कमिश्नर के मध्यम कार्यालय-महालेखाकार उत्तराखण्ड को प्रेषित है। छायाप्रति संलग्न	

NOTE:- प्रस्तावित निस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-प्रथम, वाणिज्य कर अल्मोडा** तथा उनके अधिकारियों एवं

कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

संयुक्त आयुक्त (अपील) द्वारा अभिलेखों की सूची दी गयी किन्तु कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये ऑडिट मेमों से 0663/58 का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2. **सतत् अनियमितताएः**

टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री ज्ञानचन्द	असि.कमि. (क.नि.) 1 जुलाई 2014 से 27.10.2014 तक
2	श्री कमल किशोर जोशी	असि.कमि. (क.नि.) 28.10.2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-प्रथम, वाणिज्य कर अल्मोडा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र